O/o CE (EITC)
Receipt No. 8487
Date 06 NOV 2019
DGM (IT) / SE (O)
EE........
Section ....

सूचना का अधिकार अधिनियम् 2005 के अंतर्गत
छत्तीसगढ़ स्टेट पॉवर होल्डिंग कम्पनी लिमिटेड, में प्रथम अपीलीय अधिकारी
श्री एच.के.पाण्डेय महाप्रबंधक (मा.सं.), दूरभाष क्रं. –0771–2574700

अपील प्रकरण क्रमांक 10/2019 दिनांक 27.09.2019

श्री योगेन्द्र पाल सिंह — अपीलार्थी
वार्ड क्रमांक 01
नेहरू नगर छिर्रा, कटघोरा
कटघोरा जिला– कोरबा (छ0ग0)

विरूद्ध

श्री के.एस.भारती — प्रतिअपीलार्थी
जनसूचना अधिकारी
सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि., डंगनिया, रायपुर

–:: आदेश ::–
(दिनांक 05/11/2019 को पारित)

अपीलार्थी श्री योगेन्द्र पाल सिंह की ओर से प्रकरण पर प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी, सह उपमहाप्रबंधक (मा.सं.)–दो होल्डिंग कंपनी रायपुर के निर्णय से व्यथित होकर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 (जिसे आगे ''अधिनियम'' कहा जायेगा) की धारा 19 (1) के अंतर्गत प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसे अपील प्रकरण क्रमांक 10/2019 दिनांक 27.09.2019 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया है।

(2) प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री योगेन्द्र पाल सिंह ने आवेदन दिनांकित 19.07.2019 के द्वारा प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी से असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.) पद के भर्ती परीक्षा से संबंधित निम्नलिखित जानकारी चाही गई है:–

साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवार का रोल नबंर, नाम, एवं कम्प्यूटर परीक्षा का अंक, तथा दिनांक 29.03.2019 को संपन्न साक्षात्कार का अंक की जानकारी।

उक्त जानकारी जनसूचना अधिकारी के द्वारा अपीलार्थी को 01 पृष्ठ में उपलब्ध करायी गई है, जिससे वे असंतुष्ट है, अतएव उनके द्वारा प्रथम अपील आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

(3) प्रथम अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए सूचना पत्र क्रमांक 01–02/अ.अ./प्र.क्र. –10/2019/23 दिनांक 05.10.2019 के माध्यम से प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निर्धारित तिथि 26.10.2019 को सांय 4.00 बजे कक्ष क्रमांक जी –09 में उपस्थित होकर प्रकरण पर अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया, एवं अपीलार्थी श्री योगेन्द्र पाल सिंह को भी उनके द्वारा दिये गये पते पर स्वंय अथवा अधिकृत प्रतिनिधि निर्धारित श्रवण तिथि एवं नियत समय पर इस कार्यालय में उपस्थित होकर प्रकरण में अपना पक्ष/तर्क प्रस्तुत किये जाने हेतु सूचित किया गया। निर्धारित सुनवाई तिथि में प्रतिअपीलार्थी एवं अपीलार्थी उपस्थित रहे। तत्पश्चात् प्रकरण में सुनवाई की कार्यवाही संपन्न की गई।

(4) प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी के द्वारा सुनवाई तिथि को मौखिक रूप से अपना पक्ष रखते हुए अवगत कराया गया कि आवेदक द्वारा कंडिका 02/टीप में चाही गई जानकारी प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, होल्डिंग कंपनी, रायपुर के कार्यक्षेत्र से संबंधित होने के कारण जानकारी उपलब्ध

कराये जाने हेतु लेख किया गया। जिसके प्रत्युत्तर में संबंधित प्रभाग द्वारा अवगत कराया गया कि चूंकि असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.) पद पर भर्ती की कार्यवाही प्रकियाधीन है, अतएव उक्त जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नही है।

उपरोक्त वस्तुस्थिति से आवेदक को कार्यालयीन पत्र क्रमांक 1204 दिनांक 14.08.2019 के माध्यम से निर्धारित समयावधि के भीतर अवगत कराया गया है।

(5) उक्त अधिनियम में यह प्रावधान है कि किसी भी नागरिक को सभी विषयों पर सूचना दी जा सकती है, यदि ज़िस विषय पर सूचना मांगी गई है। बशर्ते चाही गई जानकारी स्पष्ट व कार्यालयीन अभिलेखों/दस्तावेजों में उपलब्ध हो एवं अधिनियम के अनुरूप मान्य हो।

(i) सुनवाई तिथि को संबंधित अभिलेखों/दस्तावेजों का अवलोकन कर, उभय पक्षों के तर्क श्रवण किये गये।

(ii) अपीलार्थी का प्रमुख अपील तर्क कि उनके द्वारा वांछित असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.) (प्रशिक्षु) की दिनांक 17.12.2018 कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के अंक एवं दिनांक 29.03.2019 को आयोजित साक्षात्कार के अंक परीक्षा के संबंध में जानकारी चाही गई थी किन्तु जनसूचना अधिकारी यह अवगत कराते हुए कि संबंधित भर्ती प्रक्रियाधीन है, जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई। चूंकि असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.) (प्रशिक्षु) की भर्ती से संबंधित उम्मीदवारों की चयन सूची जारी कर नियुक्ति आदेश जारी किया गया है व जिसके पूर्व साक्षात्कार में उपस्थित उम्मीदवारों की न कम्प्यूटर आधारित परीक्षा का अंक और न ही साक्षात्कार में प्राप्त अंक विभाग के वेबसाईट पर अपलोड किया गया है, अतएव वांछित जानकारी उपलब्ध करायी जावें।

(iii) उक्ताशय के परिप्रेक्ष्य में प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी का प्रत्युत्तर कि आवेदक द्वारा आवेदन दिनांक 19.07.2019 के तहत असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.) (प्रशिक्षु) भर्ती परीक्षा के संबंध में जानकारी चाही गई है। किन्तु तत्कालीन समयावधि में असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.) (प्रशिक्षु) के पदों पर भर्ती की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं था।

(iv) **उल्लेखनीय है कि असिस्टेंट मैनेजर (एच.आर.) (प्रशिक्षु) पदों पर साक्षात्कार हेतु चयनित हुए उम्मीदवारों के कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के अंको एवं साक्षात्कार के अंको का प्रकटन किया जाना अधिनियम की धारा 8 (1)–(ञ) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत लोकहित में नही है। अतएव उक्त जानकारी उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है।**

आवेदक यदि चाहे तो, उन्हें उनके कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के अंक व साक्षात्कार के अंक, ST संवर्ग के कट ऑफ मार्क्स एवं साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों का नाम, रोल नं. उपलब्ध करायी जा सकती है। जिस पर अपीलार्थी द्वारा संतुष्टि व्यक्त की गई।

(6) प्रकरण में आये तथ्यों से ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी द्वारा कंडिका 2/–टीप में चाही गई जानकारी/दस्तावेज, तत्कालीन समयावधि में प्रक्रियाधीन होने के फलस्वरूप प्रकटन किया जाना विधिसंगत नही था। वस्तुतः प्रतिअपीलार्थी के द्वारा कंडिका 04/–टीप में की गई कार्यवाही स्वीकार योग्य एवं न्याय संगत है।

साथ ही इस संपूर्ण प्रकरण को देखते हुए यह भी स्पष्ट है कि उल्लेखित कंडिका 5 (iii), व (iv) में प्रतिअपीलार्थी के द्वारा दिये गये प्रत्युत्तर, अपीलार्थी की शंका के समाधान हेतु पर्याप्त परिलक्षित होते हैं।

जहाँ तक अपील का प्रश्न है अपीलार्थी स्वयं उक्त भर्ती परीक्षा में प्रतिभागी था, अतएव कंडिका 5 (iv) के दृष्टिगत वर्तमान परिस्थिति में उन्हें उनके कम्प्यूटर आधारित परीक्षा के अंक व साक्षात्कार के अंक, ST संवर्ग के कट ऑफ मार्क्स एवं साक्षात्कार हेतु चयनित उम्मीदवारों का नाम,

रोल नं. उपलब्ध करायी जा सकती है। परिणामतः प्रतिअपीलार्थी जनसूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि अपीलार्थी को वांछित जानकारी अपील आदेश जारी होने के 15 दिवस के भीतर नियमानुसार सःशुल्क उपलब्ध करायें।

उपरोक्त के दृष्टिगत उक्त दाखिल प्रथम अपील प्रकरण (पंजीयन क्रमांक 10/2019 दिनांक 27.09.2019) एतद् द्वारा स्वीकार कर, नस्तीबद्ध की जाती है।

05/11/2019

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700

क्रमांक 01–02/अपील प्रकरण –10/2019/ 25 **रायपुर, दिनांक** 05/11/2019

प्रतिलिपिः–

1 जनसूचना अधिकारी सह उपमहाप्रबंधक (मा0सं0)–दो, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

2 प्रबंधक (मा.सं.)–आठ, छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित – वांछित जानकारी/दस्तावेज जनसूचना अधिकारी को यथाशीघ्र उपलब्ध करावें।

3 श्री योगेन्द्र पाल सिंह, वार्ड क्रमांक 01, नेहरू नगर, छिर्रा, कटघोरा, जिला–कोरबा (छ.ग.) को सूचनार्थ प्रेषित।

4 मुख्य अभियंता (EITC), छ.ग.स्टे.पॉ.डिस्ट्री.कं.लिमि., रायपुर – उक्त आदेश को कंपनी के वेबसाइट में अपलोड करने का कष्ट करें।

इस आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी चाहें तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील आवेदन निम्नांकित पते पर, इस आदेश के प्राप्त होने की तिथि से 90 दिनों के भीतर प्रस्तुत कर सकतें है।

पताः–

सचिव,
छत्तीसगढ राज्य सूचना आयोग
सेक्टर–19, नार्थ ब्लॉक, अटल नगर
जिला– रायपुर (छ.ग.) पिन – 492002
दूरभाष– 0771–2512106, 2512108

05/11/2019

(एच.के.पाण्डेय)
अपीलीय अधिकारी
सह महाप्रबंधक (मा0सं0)
छ.ग.स्टे.पॉ.हो.कं.लिमि.,रायपुर
दूरभाष कमांक –0771–2574700